भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3469
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 16 मार्च, 2020
26 फाल्गुन, 1941 (शक)

मध्य प्रदेश में धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु निधि आबंटन

3469. श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्रीमती रीती पाठक:
श्री कृष्ण पाल सिंह यादव:

क्या **संस्कृति मंत्रालय** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के धरोहर स्थलों और स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव हेतु उपयुक्त कदम उठाए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिणाम क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और अशोक नगर जिलों के किलों, ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु विशेष रूप से कोई योजना तैयार की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु आबंटित और उपयोग की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) ऐसे स्थलों में विकास हेतु तय सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर सहित देश में संरक्षित स्मारकों का संरक्षण कार्य, विभिन्न स्थलों की आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए नियमित रूप से किया जाता है और वे भली-भांति परिरक्षित हैं।

(ग) से (ड.) मध्य प्रदेश के शिवपुरी और अशोक नगर जिलों सहित देश में संरक्षित स्मारकों का संरक्षण कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। गुना जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई संरक्षित स्मारक नहीं है। सभी संरक्षित स्मारकों में पहरा व निगरानी आदि सहित सामान्य अनुरक्षण कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। जबकि चुनिंदा स्मारकों पर स्थल विशेष की आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विशेष मरम्मत कार्य किया जाता है। शिवपुरी तथा अशोक नगर जिलों सहित मध्य प्रदेश में संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान आवंटित तथा उपयोग की गई धनराशि और चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन का ब्यौरा इस प्रकार है:

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	व्यय
1	2017 - 18	780.00	779.98
2	2018 - 19	840.0	809.48
3	2019 - 20	1200.00	1189.00 (25.02.2020 तक)